

कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश शासन

सतपुड़ा भवन, भोपाल - 462004

क्रमांक 780/236/आउशि/गो.प्र./09,

भोपाल, दिनांक 3.8.09

// आदेश //

विषय:- हिन्दी विषय के सहायक प्राध्यापकों का प्रवर श्रेणी वेतनमान में स्थानन।

संदर्भ:- उच्च शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक 3305/38-1/88 दिनांक 3/8 नवम्बर 1988, क्रमांक एफ-7/ए-8/38 दिनांक 6.4.89, क्रमांक 326/38-1 दिनांक 17.1.90, क्रमांक एफ 7-1/ए-1/38 दिनांक 10.12.92, क्रमांक एफ-7/87/ए-1/38 दिनांक 2.3.98, क्रमांक एफ-1/233/99/38-1/99, दिनांक 11.10.99 क्रमांक एफ-1(01)/1-38, दिनांक 5.4.05 एवं क्रमांक एफ-1(43)/2005/1-38, दिनांक 29.9.08.

-0-

शासन के आदेशानुसार हिन्दी विषय के निम्नलिखित सहायक प्राध्यापकों को उनके नाम के समक्ष दर्शित तिथि से प्रवर वेतनमान रूपये 3700-5700/12000-420-18300 में स्थानन किया जाता है:-
विषय - हिन्दी

क्र०	पिन नम्बर	सहायक प्राध्यापक का नाम	विषय	महाविद्यालय का नाम	पात्रता दिनांक
✓ 1.	0110047	श्रीमती अर्चना चंदेल	हिन्दी	शा. पीजी महा., सिवनी	30.6.03
✓ 2.	0110054	श्रीमती अरुणा दुबे	हिन्दी	शा. कालिदास कन्या महा., उज्जैन	1.4.06
✓ 3.	0110057	श्री आशकुमार यादव	हिन्दी	शा. महा., हरई (छिन्दवाड़ा)	1.4.05
✓ 4.	0110068	श्री अशोक कुमार त्रिपाठी	हिन्दी	शा. महा., न्यूरामनगर (सतना)	1.4.08
✓ 5.	0110095	डॉ. भूपेन्द्र कुमार सिंह	हिन्दी	शा. टीआरएस महा., रीवा	1.4.07
✓ 6.	0110104	श्री ब्लासियुस मिन्ज	हिन्दी	शा. महा., सिलवानी, रायसेन	21.11.07
✓ 7.	0110207	श्री कुंवर सिंह बघेल	हिन्दी	शा. महा., अंजड, बड़वानी	11.7.06
✓ 8.	0110212	श्रीमती कला जोशी	हिन्दी	शा. कन्या पीजी महा., मोतीतबेला, इन्दौर	24.12.07
✓ 9.	0110262	डॉ. लखनलाल खरे	हिन्दी	शा. महा., शिवपुरी	17.1.06
✓ 10.	0110268	डॉ. ललिता त्रिपाठी	हिन्दी	शा. सरोजिनी नायडू कन्या महा., भोपाल	24.12.07
✓ 11.	0110473	श्री रविशंकर तिवारी	हिन्दी	शा. पीजी महा., बीना	2.11.04
✓ 12.	0110515	श्रीमती साधना निर्भय	हिन्दी	शा. कन्या पीजी महा., उज्जैन	24.12.07
✓ 13.	0110610	श्री सोनबहादुर उरती	हिन्दी	शा. स्नातक महा., निवास, मण्डला	6.11.04
✓ 14.	0110643	श्रीमती सुषमा श्रीवास्तव	हिन्दी	शा. पीजी कन्या महा., किला भवन, इन्दौर	28.7.05
✓ 15.	0110672	श्रीमती ऊषा प्रधान	हिन्दी	शा. बंनजीर महा., भोपाल	24.12.07
✓ 16.	0110239	सुश्री किरण खरादी	हिन्दी	शा. कन्या महा., कटनी	2.12.07
✓ 17.	0110296	सुश्री मंजुलता चौधरी	हिन्दी	शा. महा., आलोट	1.4.07

Acharya
3.8.2009

18.	0110407	सुश्री पुष्पा शाक्य	हिन्दी	शा. कला एवं वाणिज्य महा., इन्दौर	1.4.07
19.	0110543	श्रीमती सरोज खरे	हिन्दी	शा. कन्या महा., रतलाम	31.1.05
20.	0110703	श्री विनय गोखले,	हिन्दी	शा. नर्मदा महा., होशंगाबाद	15.7.05
21.	0110735	श्रीमती उर्मिला रावत	हिन्दी	शा. छत्रसाल महाराजा महा., महाराजपुर, छतरपुर	24.12.07
22.	0110386	श्री प्रणय कुमार तिवारी	हिन्दी	शा. पीजी महा., बैतूल	1.4.08
23.	0110827	श्रीमती सुनीता जैन	हिन्दी	शा. गीताजलि कन्या पीजी महा., भोपाल	1.4.08

प्राचार्य संबंधित सहायक प्राध्यापक का वेतन निर्धारण इस आदेश के अनुसार निर्धारित करें तथा इस हेतु वचन-पत्र संबंधी प्रावधान का भी पालन सुनिश्चित करें।

- नोट:-
- 1- जिन सहायक प्राध्यापकों का 1.1.96 के पूर्व प्रवर श्रेणी वेतनमान में स्थानन किया गया है उन्हें रुपये 3700-5700 में वेतन निर्धारण की कार्यवाही की जावेगी।
 - 2- यदि किसी सहायक प्राध्यापक के विरुद्ध विभागीय जॉच/लोकायुक्त जॉच/आर्थिक अपराध जॉच या अन्य कोई भी जॉच संस्थित है तो ऐसे प्रकरणों में वेतन निर्धारण की कार्यवाही न करते हुए तत्काल इस संबंध में जानकारी आयुक्त, उच्च शिक्षा को भेजें।
 - 3- यदि किसी सहायक प्राध्यापक द्वारा वेतनमान के संबंध में न्यायालयीन प्रकरण दायर किया है तो संबंधित सहायक प्राध्यापक से लिखित में सहमति प्राप्त वेतन निर्धारण की कार्यवाही की जावे अथवा उसके प्रकरण को न्यायालयीन निर्णय आने तक लंबित रखते हुए उसकी जानकारी तत्काल आयुक्त, उच्च शिक्षा को भेजी जावे।

उपरोक्त का पालन सुनिश्चित किया जावे अन्यथा संबंधित प्राचार्य इसके लिये जवाबदार होंगे।

Ashish
3.8.09
(आशीष उपाध्याय)

आयुक्त
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश
भोपाल, दिनांक

3.8.09

पृ.क. 781 / 236 / आउशि / गो.प्र. / 09,
प्रतिलिपि:-

- 01- माननीय मंत्रीजी, उच्च शिक्षा के निज सचिव।
- 02- प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
- 03- निज सचिव, आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश, भोपाल।
- 04- महालेखाकार, मध्यप्रदेश, ग्वालियर।
- 05- समस्त क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, मध्य प्रदेश।
- 06- संबंधित प्राचार्य,।
- 07- संबंधित जिला कोषालय अधिकारी।
- 08- संबंधित सहायक प्राध्यापक।
- 09- संबंधित के गोपनीय फोल्डर में रखने हेतु।

Ashish
3.8.2009
आयुक्त
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश

कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश शासन
सतपुड़ा भवन, भोपाल - 462004

क्रमांक 782 / 236 / आउशि / गो.प्र. / 09,

भोपाल, दिनांक 3.8.09

// आदेश //

विषय:- हिन्दी विषय के सहायक प्राध्यापकों का वरिष्ठ श्रेणी वेतनमान में स्थानन की तिथि में संशोधन।

संदर्भ:- उच्च शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक 3305/38-1/88 दिनांक 3/8 नवम्बर 1988, क्रमांक एफ-7/ए-8/38 दिनांक 6.4.89, क्रमांक 326/38-1 दिनांक 17.1.90, क्रमांक एफ 7-1/ए-1/38 दिनांक 10.12.92, क्रमांक एफ-7/87/ए-1/38 दिनांक 2.3.98, क्रमांक एफ-1/233/99/38-1/99, दिनांक 11.10.99 क्रमांक एफ-1(01)/1-38, दिनांक 5.4.05 एवं क्रमांक एफ-1(43)/2005/1-38, दिनांक 29.9.08.

-0-

शासन के आदेशानुसार हिन्दी विषय के निम्नलिखित सहायक प्राध्यापकों को उनके नाम के समक्ष दर्शित तिथि से वरिष्ठ वेतनमान रुपये 3000-5000/ 10000-15200 में स्थानन की तिथि में संशोधन किया जाता है :-

विषय - हिन्दी

क्र०	पिन नम्बर	सहायक प्राध्यापक का नाम, विषय एवं महाविद्यालय का नाम	वरिष्ठ श्रेणी वेतनमान में संशोधन	
			पूर्व में घोषित दिनांक	संशोधित दिनांक
1.	0110703	श्री विनय गोखले, हिन्दी, शा. नर्मदा महा., होशंगाबाद	29.9.2002	15.7.2000
2.	0110315	डॉ० श्रीमती मीना शुक्ला, शा. गृह विज्ञान महा. होशंगाबाद	16.07.2008	01.04.2006

Ashish
2.8.2009

प्राचार्य संबंधित सहायक प्राध्यापक का वेतन निर्धारण इस आदेश के अनुसार निर्धारित करें तथा इस हेतु वचन-पत्र संबंधी प्रावधान का भी पालन सुनिश्चित करें।

नोट:-

- 1- जिन सहायक प्राध्यापकों का 1.1.96 के पूर्व वरिष्ठ श्रेणी वेतनमान में स्थानन किया गया है उन्हें रुपये 3000-5000 में वेतन निर्धारण की कार्यवाही की जावेगी।
- 2- यदि किसी सहायक प्राध्यापक के विरुद्ध विभागीय जॉच/लोकायुक्त जॉच/आर्थिक अपराध जॉच या अन्य कोई भी जॉच संस्थित है तो ऐसे प्रकरणों में वेतन निर्धारण की कार्यवाही न करते हुए तत्काल इस संबंध में जानकारी आयुक्त, उच्च शिक्षा को भेजें।

//2//

3- यदि किसी सहायक प्राध्यापक द्वारा वेतनमान के संबंध में न्यायालयीन प्रकरण दायर किया है तो संबंधित सहायक प्राध्यापक से लिखित में सहमति प्राप्त वेतन निर्धारण की कार्यवाही की जावे अथवा उसके प्रकरण को न्यायालयीन निर्णय आने तक लंबित रखते हुए उसकी जानकारी तत्काल आयुक्त, उच्च शिक्षा को भेजी जावे ।

उपरोक्त का पालन सुनिश्चित किया जावे अन्यथा संबंधित प्राचार्य इसके लिये जवाबदार होंगे ।

Ashwin
2.8.2019

(आशीष उपाध्याय)

आयुक्त
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश

पृ.क. 783 /236/आउशि/गो.प्र./09,
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक 3.8.09

- 01- माननीय मंत्रीजी, उच्च शिक्षा के निज सचिव ।
- 02- प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल ।
- 03- निज सचिव, आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश, भोपाल ।
- 04- महालेखाकार, मध्यप्रदेश, ग्वालियर ।
- 05- समस्त क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, मध्य प्रदेश ।
- 06- संबंधित प्राचार्य, ।
- 07- संबंधित जिला कोषालय अधिकारी ।
- 08- संबंधित सहायक प्राध्यापक ।
- 09- संबंधित के गोपनीय फोल्डर में रखने हेतु ।

Ashwin
3.8.2019

आयुक्त
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश

कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश शासन
सतपुड़ा भवन, भोपाल - 462004

क्रमांक 784/236/आउशि/गो.प्र./09,

भोपाल, दिनांक 3.8.09

//आदेश//

विषय:- हिन्दी विषय के सहायक प्राध्यापकों का प्रवर श्रेणी वेतनमान में स्थानन की तिथि में संशोधन।
संदर्भ:- उच्च शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक 3305/38-1/88 दिनांक 3/8 नवम्बर 1988, क्रमांक एफ-7/ए-8/38 दिनांक 6.4.89, क्रमांक 326/38-1 दिनांक 17.1.90, क्रमांक एफ 7-1/ए-1/38 दिनांक 10.12.92, क्रमांक एफ-7/87/ए-1/38 दिनांक 2.3.98, क्रमांक एफ-1/233/99/38-1/99, दिनांक 11.10.99 क्रमांक एफ-1(01)/1-38, दिनांक 5.4.05 एवं क्रमांक एफ-1(43)/2005/1-38, दिनांक 29.9.08.

शासन के आदेशानुसार हिन्दी विषय के निम्नलिखित सहायक प्राध्यापकों को उनके नाम के समक्ष दर्शित तिथि से प्रवर श्रेणी वेतनमान रूपये 3700-5700/12000-420-18300 में स्थानन तिथि में संशोधन किया जाता है :-

विषय - हिन्दी

क्र०	पिन नम्बर	सहायक प्राध्यापक का नाम, विषय एवं महाविद्यालय का नाम	प्रवर श्रेणी वेतनमान में संशोधन	
			पूर्व में घोषित दिनांक	संशोधित दिनांक
1.	0110074	श्री अवधेश कुमार जैन, हिन्दी, शा. पीजी महा., दमोह	5.12.07	28.11.04
2.	0110108	कु. चन्द्रा तलेरा, हिन्दी, शा. पीजी कन्या महा., मोतीतबेला, इन्दौर	25.9.02	1.4.01
3.	0110155	श्री गोविन्द प्रसाद अहिरवार, हिन्दी, शा. महिला महा., दमोह	24.2.08	2.1.08
4.	0110009	श्रीमती आभा श्रीवास्तव, हिन्दी शा. महा., जावरा	7.12.05	28.11.04
5.	0110183	डॉ. जवाहरलाल शुक्ल, हिन्दी शा. महा., गाडरवारा	2.3.07	27.7.03

प्राचार्य संबंधित सहायक प्राध्यापक का वेतन निर्धारण इस आदेश के अनुसार निर्धारित करें तथा इस हेतु वचन-पत्र संबंधी प्रावधान का भी पालन सुनिश्चित करें।

नोट:-

1-जिन सहायक प्राध्यापकों का 1.1.96 के पूर्व प्रवर श्रेणी वेतनमान में स्थानन किया गया है उन्हें रूपये 3700-5700 में वेतन निर्धारण की कार्यवाही की जावेगी।

2- यदि किसी सहायक प्राध्यापक के विरुद्ध विभागीय जॉच/लोकायुक्त जॉच/आर्थिक अपराध जॉच या अन्य कोई भी जॉच संस्थित है तो ऐसे प्रकरणों में वेतन निर्धारण की कार्यवाही न करते हुए तत्काल इस संबंध में जानकारी आयुक्त, उच्च शिक्षा को भेजें।

Ashish
28.8.09

//2//

3-यदि किसी सहायक प्राध्यापक द्वारा वेतनमान के संबंध में न्यायालयीन प्रकरण दायर किया है तो संबंधित सहायक प्राध्यापक से लिखित में सहमति प्राप्त वेतन निर्धारण की कार्यवाही की जावे अथवा उसके प्रकरण को न्यायालयीन निर्णय आने तक लंबित रखते हुए उसकी जानकारी तत्काल आयुक्त, उच्च शिक्षा को भेजी जावे ।

उपरोक्त का पालन सुनिश्चित किया जावे अन्यथा संबंधित प्राचार्य इसके लिये जवाबदार होंगे ।

Arjun
3.9.2019

(आशीष उपाध्याय)

आयुक्त

उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश

पृ.क. 785 /236/आउशि/गो.प्र./09,
प्रतिलिपि:-

- 01- माननीय मंत्रीजी, उच्च शिक्षा के निज सचिव ।
- 02- प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल ।
- 03- निज सचिव, आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश, भोपाल ।
- 04- महालेखाकार, मध्यप्रदेश, ग्वालियर ।
- 05- समस्त क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, मध्य प्रदेश ।
- 06- संबंधित प्राचार्य, ।
- 07- संबंधित जिला कोषालय अधिकारी ।
- 08- संबंधित सहायक प्राध्यापक ।
- 09- संबंधित के गोपनीय फोल्डर में रखने हेतु ।

भोपाल, दिनांक

3-8-09

Arjun
3.8.2019

आयुक्त

उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश

कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश शासन

सतपुड़ा भवन, भोपाल - 462004

क्रमांक 786/236/आउशि/गो.प्र./09,

भोपाल, दिनांक 3.8.09

//आदेश//

विषय:- हिन्दी विषय के सहायक प्राध्यापकों का वरिष्ठ श्रेणी वेतनमान में स्थानन।

संदर्भ:- उच्च शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक 3305/38-1/88 दिनांक 3/8 नवम्बर 1988, क्रमांक एफ-7/ए-8/38 दिनांक 6.4.89, क्रमांक 326/38-1 दिनांक 17.1.90, क्रमांक एफ 7-1/ए-1/38 दिनांक 10.12.92, क्रमांक एफ-7/87/ए-1/38 दिनांक 2.3.98, क्रमांक एफ-1/233/99/38-1/99, दिनांक 11.10.99 क्रमांक एफ-1(01)/1-38, दिनांक 5.4.05 एवं क्रमांक एफ-1(43)/2005/1-38, दिनांक 29.9.08.

-0-

शासन के आदेशानुसार हिन्दी विषय के निम्नलिखित सहायक प्राध्यापकों को उनके नाम के समक्ष दर्शित लिथि से वरिष्ठ वेतनमान रूपये 3000-100-3500- 125-5000/10000-325-15200 में स्थानन किया जाता है :-

विषय - हिन्दी

क्र०	पिन नम्बर	सहायक प्राध्यापक का नाम	विषय	महाविद्यालय का नाम	पात्रता दिनांक
1.	0110169	डॉ. हरिशंकर द्विवेदी	हिन्दी	शा. नर्मदा महा., होशंगाबाद	1.4.05
2.	0110218	डॉ. कल्पना जैन	हिन्दी	शा. महा., पाटन, जबलपुर	24.12.02
3.	0110595	डॉ. शोभना जैन	हिन्दी	शा. महा., सारणी	1.4.06
4.	0110643	श्रीमती सुषमा श्रीवास्तव	हिन्दी	शा. पीजी कन्या महा., किला भवन, इन्दौर	28.7.2000
5.	0110239	सुश्री किरण खरादी	हिन्दी	शा. कन्या महा., कटनी	2.12.02
6.	0110276	श्री मलखान सिंह चौहान	हिन्दी	शा. महा., आमला	1.4.08
7.	0110280	श्रीमती मधु जैन	हिन्दी	उच्च शिक्षा उत्कृष्टता संस्थान, भोपाल	24.12.02
8.	0110296	सुश्री मंजुलता चौधरी	हिन्दी	शा. महा., आलोट	27.11.01
9.	0110446	श्री रामनरेश शुक्ला	हिन्दी	शा. पीजी महा., बड़वानी	24.12.02
10.	0110625	श्री सुनील कुमार दुबे	हिन्दी	शा. एमकेबी महिला महा., जबलपुर	24.12.03
11.	0110761	श्री अशोक ठाकुर	हिन्दी	शा. महा., राजपुर	27.3.07

3.8.09

प्राचार्य संबंधित सहायक प्राध्यापक का वेतन निर्धारण इस आदेश के अनुसार निर्धारित करें तथा इस हेतु वचन-पत्र संबंधी प्रावधान का भी पालन सुनिश्चित करें।

नोट:-

1. जिन सहायक प्राध्यापकों का 01.01.1996 के पूर्व वरिष्ठ श्रेणी वेतनमान में स्थानन किया गया है उन्हें रूपये 3000-5000 में वेतन निर्धारण की कार्यवाही की जावेगी।
2. यदि किसी सहायक प्राध्यापक के विरुद्ध विभागीय जाँच/लोकायुक्त जाँच/आर्थिक अपराध जाँच या अन्य कोई भी जाँच संस्थित है तो ऐसे प्रकरणों में वेतन निर्धारण की कार्यवाही न करते हुए तत्काल इस संबंध में जानकारी आयुक्त, उच्च शिक्षा को भेजें।

//2//

3. यदि किसी सहायक प्राध्यापक द्वारा वेतनमान के संबंध में न्यायालयीन प्रकरण दायर किया है तो संबंधित सहायक प्राध्यापक से लिखित में सहमति प्राप्त कर वेतन निर्धारण की कार्यवाही की जावे अथवा उसके प्रकरण को न्यायालयीन निर्णय आने तक लंबित रखते हुए उसकी जानकारी तत्काल आयुक्त, उच्च शिक्षा को भेजी जावे ।

उपरोक्त का पालन सुनिश्चित किया जावे अन्यथा संबंधित प्राचार्य इसके लिये जवाबदार होंगे ।

Ashish
3.8.2019

(आशीष उपाध्याय)

आयुक्त

उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश

पृ.क. 787 / 236 / आउशि / गो.प्र. / 09,
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक
3-8-19

- 01- माननीय मंत्रीजी, उच्च शिक्षा के निज सचिव ।
- 02- प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल ।
- 03- निज सचिव, आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश, भोपाल ।
- 04- महालेखाकार, मध्यप्रदेश, ग्वालियर ।
- 05- समस्त क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, मध्य प्रदेश ।
- 06- संबंधित प्राचार्य, ।
- 07- संबंधित जिला कोषालय अधिकारी ।
- 08- संबंधित सहायक प्राध्यापक ।
- 09- संबंधित के गोपनीय फोल्डर में रखने हेतु ।

Ashish
3.8.2019

आयुक्त

उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश